रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082023-248412
CG-DL-E-29082023-248412

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3670] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 2023/भाद्र 7, 1945
No. 3670] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2023/BHADRA 7, 1945

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2023

का.आ. 3831(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) (सातवां) संशोधन आदेश, 2023 है ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

1.उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के, खंड 28ख के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"28 ग निरीक्षण दल

केंद्र सरकार एक या एक से अधिक निरीक्षण दल का गठन करेगी, जिसकी अध्यक्षता किसी ऐसे अधिकारी द्वारा होगी जो निदेशक या समकक्ष की रैंक से नीचे का न हो और इसमें चार अन्य अधिकारी शामिल होंगे, जो सहायक अनुभाग अधिकारी या समकक्ष की रैंक से नीचे के नहीं होंगे।

" परन्तु सदस्यों में से एक के पास उर्वरक (अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 27क में उर्वरक निरीक्षक के लिए विहित न्यूनतम योग्यता और प्रशिक्षण होना चाहिए।

28 घ निरीक्षण दल की शक्ति

(1) निरीक्षण दल उर्वरक (अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 28 के उप-खंड (1) के, मद संख्या (क), मद संख्या (ख), मद संख्या (ग), मद संख्या (घ) और मद संख्या (ङ) और उप-खंड (2), उप-खंड (3) और उप-खंड (4) के अधीन उर्वरक निरीक्षक को दी गई सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा "।

(2) खंड 29 के उप-खंड (1) में, "निरीक्षक" शब्द के पश्चात "या केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित निरीक्षण दल" शब्द अन्तःस्थापित किये जाएंगे।

[फा. सं. 1-3/2020 उर्वरक विधि]

योगिता राना, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 758(अ) तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3240(अ) तारीख 19 जुलाई, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 29th August, 2023

S.O. 3831(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-

1. This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Seventh) Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 (hereinafter referred to as the said Order), after clause 28 B, the following clauses shall be inserted, namely:-

"28 C Inspection Team,

The Central Government shall constitute a Inspection team or teams headed by an officer not below the rank of Director or equivalent and comprising of four other officers not below the rank of Assistant Section Officer or equivalent:

Provided that one of the member shall possess the minimum qualification and training prescribed for Fertiliser Inspector in clause 27 A of FCO.

28 D Power of Inspection Team

The Inspection team shall exercise all the power assigned to Fertiliser Inspector under item (a), (b), (c), (d) and (e) of sub- clause (1) of clause 28 and sub-clauses (2), (3), and (4) of clause 28 of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985."

3. In the said Order, in sub-clause 1 of clause 29 , after the word "Inspector" the words "Inspection team constituted by Central Government" shall be inserted.

[F. No. 1-3/2020 Fertlaw]

YOGITA RANA, Jt. Secy.

Note:- The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide notification G.S.R. No. 758(E) dated 25th September, 1985 and was last amended vide notification number S.O. 3240(E) dated 19th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.29 21:17:43 +05'30'